डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003

Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003

Phone : 07582-265826 - **Fax :** 264236, 264163

क्रँ.: वित्त–लेखा / 2023/175 दिनांकः 02-05-2023

परिपत्र

विषयः अग्रिमों (इम्प्रेस्ट अग्रिम राशि को छोड़कर) के समायोजन करने विषयक।

सभी सम्माननीय अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर (समन्वयक), विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष, सहायक निदेशक, प्रभारी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (पी. आई.), संयुक्त कुलसचिव, उपकुलसचिव, विश्वविद्यालय यंत्री, सहायक कुलसचिव, चिकित्सा अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, प्रभारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, शाखा प्रभारी से आग्रह है किः–

1- विभिन्न कार्यों हेतु दिए जाने वाले अग्रिमों का समायोजन प्रत्येक स्थिति में कार्य समाप्ति के 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक समायोजन 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाये, अन्यथा की स्थिति में दिए गए अग्रिम पर GFR-2017 के नियमानुसार ब्याज वसूला जाएगा।

2- **नेक विजिट हेतु दिए जाने वाले अग्रिमों का समायोजन प्रत्येक स्थिति में दि. 20.05.2023 तक प्रत्येक विभाग / कार्यालय द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।**

आदेशानुसार,

02-05-2023

प्रभारी वित्ताधिकारी

डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपिः–

1- संबंधित अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर (समन्वयक), विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष, सहायक निदेशक, प्रभारी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (पी.आई.), संयुक्त कुलसचिव, उपकुलसचिव, विश्वविद्यालय यंत्री, सहायक कुलसचिव, चिकित्सा अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, प्रभारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, शाखा प्रभारी।

2- कुलपति जी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।

3- कुलसचिव / वित्ताधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।

4- Web Cell -वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003
Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003
Phone : 07582-265826 - **Fax :** 264236, 264163

क्रँ.: वित्त–लेखा / 2023/174 दिनांक: 02-05-2023

परिपत्र

विषयः क्रय प्रक्रिया में नियमों के पालन किए जाने के संदर्भ में।

सभी सम्माननीय अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर (समन्वयक), विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष, सहायक निदेशक, प्रभारी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (पी. आई.), संयुक्त कुलसचिव, उपकुलसचिव, विश्वविद्यालय यंत्री, सहायक कुलसचिव, चिकित्सा अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, प्रभारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, शाखा प्रभारी से आग्रह है कि:–

1- विभिन्न कार्यों हेतु दिए जाने वाले अग्रिमों व इम्प्रेस्ट अग्रिमों से किए जाने वाले व्यय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों का पालन करते हुए व्यय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तदनुसार आग्रह है कि:–

i- सामग्री क्रय प्रक्रिया में GFR-2017 के नियमों का पालन सुनिश्चित करें और जो सामग्री GeM पोर्टल पर उपलब्ध है, उसे GeM पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ii- सामग्री के GeM पोर्टल पर उपलब्ध न होने की स्थिति में GFR के नियम–154 एवं 155 का पालन सुनिश्चित करते हुए GFR-155 के अंतर्गत गठित होने वाली समिति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करें।

2- सामग्री के क्रय में तथा किए जाने वाले व्यय में यदि GFR-217 का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उसके लिए संबंधित व्यक्तिगत रूप में पूर्णरूपेण जबावदेह होंगे।

आदेशानुसार,

02-05-2023

प्रभारी वित्ताधिकारी
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपि:–

1- संबंधित अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर (समन्वयक), विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष, सहायक निदेशक, प्रभारी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (पी.आई.), संयुक्त कुलसचिव, उपकुलसचिव, विश्वविद्यालय यंत्री, सहायक कुलसचिव, चिकित्सा अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, प्रभारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, शाखा प्रभारी।
2- कुलपति जी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।
3- कुलसचिव / वित्ताधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
4- Web Cell -वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।